

/4134/2024



कोयला खान भविष्य निधि संगठन

COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(भारत सरकार कोयला मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय)

(A Statutory Organization under Ministry of Coal, Government of India)

सामाजिक सुरक्षा संगठन
Social Security
Organization

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

पुलिस लाइन: @POLICE LINE,

धनबाद @DHANBAD

पिन /PIN-826014

(झारखण्ड) (JHARKHAND)

फोन नं./Phone No.- 0326-2202114

email : commissioner@cmpfo.gov.in

Website:- www.cmpfo.gov.in

पत्र संख्या: सीएमपीएफओ-11.0011.0/32/2024-कार्मिक/160

दिनांक: 27 मई, 2024

परिपत्र

विषय:- सीएमपीएफओ में वित्त अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में वित्त अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन आमंत्रित करता है:-

क्र.सं.	पद का नाम और वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर	विभागीय परीक्षा कोटा के तहत पदों की संख्या	आरआर 2024 के अनुसार पात्रता
(क)	वित्त अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10)	02	सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, एमबीए (वित्त) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता रखने वाले सीएमपीएफओ अधिकारी और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 में 10 साल की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में 5 साल की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 में 4 साल की नियमित सेवा।
(ख)	प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8)	20	सीएमपीएफओ अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष की योग्यता और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में 2 साल की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 में 6 साल की नियमित सेवा है।
(सी)	अनुभाग अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7)	42	पीएफआई / व. स. सु. सहायक में से सीएमपीएफओ अधिकारी वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 में स. सु. सहायक जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की है।

2. पात्रता: विभागीय परीक्षा कोटा के तहत उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और पात्रता शर्तें अधिसूचित भर्ती नियमों के तहत निर्धारित के समान होंगी।

3. संबंधित क्षेत्रीय प्रमुखों को क्षेत्रीय कार्यालयों के इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदनों की सूची संबंधित अधिकारियों की सेवा पुस्तकों से साख को सत्यापित करने के बाद आयुक्त, धनबाद के कार्यालय में 10.06.2024 तक सकारात्मक रूप से भेजनी होगी। सीएमपीएफ आयुक्त कार्यालय, धनबाद के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के संबंध में आवेदन स्थापना अनुभाग के प्रभारी द्वारा एकत्र किए जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की सेवा पुस्तकों से साख को सत्यापित करने के बाद कार्मिक अनुभाग को दिनांक 10.06.2024 तक सकारात्मक रूप से सौंप दिया जाए।

4. परीक्षा का माध्यम: - परीक्षा का माध्यम विशेष रूप से निर्देशित सीमा को छोड़कर हिंदी/अंग्रेजी होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा लिखने के लिए भाषा के लिए एक विशिष्ट विकल्प देना होगा। हालांकि, पेपर के अंग्रेजी खंड को केवल अंग्रेजी में या प्रश्न पत्र में निर्देशित के रूप में लिखा जाना आवश्यक है।

5. परीक्षा की तिथि: - परीक्षा संभवतः जून, 2024 के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी। परीक्षा की तिथि और स्थान की सूचना आयुक्त कार्यालय, धनबाद के द्वारा समय-समय पर दी जाएगी।

6. आरक्षण: - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण केंद्र

4/2024

सरकार की समय-समय पर जारी आरक्षण नीति के अनुसार किया जाएगा।

7. निलंबन / अनुशासनात्मक कार्यवाही / आपराधिक कार्यवाही / दंड के तहत कर्मचारी: - जो अधिकारी पात्र हैं लेकिन निलंबन के तहत हैं या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही / आपराधिक कार्यवाही लंबित / दंड से गुजर रही है, उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी। परिणाम उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर घोषित किया जाएगा। डीपीसी ऐसे मामलों के संबंध में कार्मिक, पेंशन व प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का पालन करेगा।

8. मेरिट सूची तैयार करना

(क) यह परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा है।

(ख) प्रत्येक रिक्रिया जिनकी प्रत्येक श्रेणी के लिए परीक्षा आयोजित की गई है, उतनी संख्या के लिए योग्य उम्मीदवारों की एकल मेरिट सूची सभी पत्रों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों की व्यवस्था करने के लिए तैयार की जाएगी, बशर्त उम्मीदवारों ने प्रत्येक पेपर के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए हों।

(ग) एक प्रतीक्षा सूची भी उसी तर्ज पर तैयार की जाएगी जैसे कि योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची, जिसका उपयोग उस स्थिति में किया जाएगा जब मेरिट सूची से कोई भी व्यक्ति पदोन्नति के लिए डीपीसी द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया है या पदोन्नति के बाद पद में शामिल नहीं हुआ है या किसी भी कारण से पदोन्नति से इनकार कर दिया है। प्रतीक्षा सूची परीक्षा के लिए अधिसूचित रिक्रियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो न्यूनतम एक उम्मीदवार के अधीन होगी।

(डी) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि परिणाम की घोषणा की तारीख से एक वर्ष या अगली परीक्षा के संचालन तक, जो भी पहले हो, होगी।

(ई) डीपीसी योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची के आधार पर परीक्षा कोटा रिक्रियों के अनुसार पदोन्नति के लिए सिफारिशें करेगा और भर्ती नियमों में निहित अन्य मानदंडों के आधार पर उनकी फिटनेस का विधिवत आकलन करेगा।

(च) ऐसी स्थिति में जब मेरिट सूची में कोई व्यक्ति डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, या अनुशंसित और प्रस्तावित पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के शामिल न होने के कारण यदि कोई रिक्री अधूरी रह जाती है तो ऐसी रिक्रिया प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध उम्मीदवारों से भरा जायेगी।

9. परिणाम का संप्रेषण: परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की सूची सभी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए परिचालित की जाएगी।

10. परीक्षा के लिए सिलेबास

सीएमपीएफओ में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 में वित्त अधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन

पत्र सं. 1:- संसदीय वित्तीय नियंत्रण और सरकारी बजट।

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु :-

भारत का संविधान

भाग-V-अध्याय-I (सरकार के कार्य का संचालन), II, III और IV

भाग-IX

भाग- XII- अध्याय-I, II और III

भाग- XIII

भाग-XIV- अध्याय-I

भाग-XCII और भाग-XX

भारत के संविधान के उपरोक्त प्रावधानों में उल्लिखित प्रासंगिक अनुसूचियां भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी।

2. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, नौवां संस्करण, 1977

अध्याय-XIX

अध्याय-XXVI- संसदीय समितियां, सामान्य नियम, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, विभाग से संबंधित

4/2024

स्थायी समिति।

3.(क) बजट के सिद्धांत

(ख) बजट निर्माण और कार्यान्वयन, जिसमें

(i) फंड का पुनर्विनियोजन, (ii) पूरक बजट, (iii) व्यय बजट: बजट अनुमानों का विवरण, सार्वजनिक खाते के लिए बजट, (iv) बजट के खिलाफ व्यय का नियंत्रण।

(बी) विधान की राजकोषीय जिम्मेदारी (एफआरबीएम अधिनियम और नियम)

4 (क) सामान्य वित्त नियम, 2017

(बी) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम।

टिप्पणी:-

इस पत्र का उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को पुस्तकों की अनुमति दी जाएगी।

परीक्षा हॉल में उपयोग के लिए निम्नलिखित पुस्तकों की अनुमति होगी

(क) भारत का संविधान/भारत के संविधान का बरे अधिनियम

(बी) जीएफआर, 2017 सरकार। संदर्भ पुस्तिका

(ग) डीएफपीआर, सरकार संदर्भ पुस्तिका

(डी) एफआरबीएम अधिनियम और एफआरबीएम नियम, 2004

पत्र सं. 2:- वाणिज्यिक और प्रबंधन लेखा

पाठ्यक्रम विषयवस्तु :-

1. वित्तीय परिचय

- लेखांकन का सिद्धांत आधार
- तुलन पत्र का अर्थ, आय विवरण
- लेखांकन का नकद आधार और वास्तविक आधार - अवधारणाएं और तुलनात्मक विश्लेषण

2. वाउचर और लेनदेन की रिकॉर्डिंग

- वाउचर का अर्थ और वर्गीकरण, वाउचर में लेनदेन की रिकॉर्डिंग।
- दैनंदिन की पुस्तक तैयार करना और लेजर खातों में पोस्ट करना।
- परीक्षण संतुलन की तैयारी और त्रुटियों का सुधार।
- कंपनी खाते- शेयर और डिबेंचर जारी करने से संबंधित लेनदेन।

3. वित्तीय विवरण

- आय का मापन
- लाभ और हानि खाता, समायोजन प्रविष्टियां
- तुलन पत्र
- वित्तीय विवरण का विश्लेषण- अनुपात विश्लेषण, निधि प्रवाह और नकदी प्रवाह विवरण।

4. लाभ न कमाने वाले संगठन का लेखांकन

- गैर-लाभ संगठन का लेखांकन
- प्राप्तियां और भुगतान खाता
- आय और व्यय खाता और तुलन पत्र

5. लेखांकन मानक

- वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए रूपरेखा
- केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए वित्तीय विवरण

7. प्रबंधन लेखांकन

- लागत लेखांकन की मूल बातें
- प्रधान लागत
- उपरिव्यय
- लागत लेखांकन रिकार्ड
- सीमांत लागत और निर्णय लेना

4/2024

vi. बजटीय नियंत्रण

पेपर नंबर 3:- प्रशासनिक और कार्यालय प्रबंधन

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु :-

1. सेवा नियम:-
 - i. एफआरएसआर भाग-I, II, IV
 - ii. केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944
 - iii. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नियम
 - iv. सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021
 - v. सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972, छुट्टी यात्रा रियायत नियम
 - vi. सामान्य भविष्य निधि (सीएस) नियम, 1960
 - vii. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964
 - viii. केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियम, 1965
 - ix. केंद्र सरकार लेखा (प्राप्ति और भुगतान) नियम, 2021
2. कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, 2016
3. सार लेखन और प्रारूपण (हिंदी और अंग्रेजी)

टीप:-

1. उम्मीदवारों को इस पत्र का उत्तर देने के लिए पुस्तकों की अनुमति दी जाएगी।
परीक्षा हॉल में उपयोग के लिए निम्नलिखित पुस्तकों की अनुमति होगी
 - a. स्वामी की एफआरएसआर भाग-I, II, IV की संदर्भ पुस्तकें
 - b. स्वामी सिविल सेवा (एमए) नियम, 1944
 - c. स्वामी की सीजीएचएस नियम की संदर्भ पुस्तकें
 - d. स्वामी की सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972, एलटीसी नियम की संदर्भ पुस्तकें
 - e. स्वामी की सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 की संदर्भ पुस्तकें
 - f. स्वामी की सीसीएस (सीसीएस) नियम, 1965 की संदर्भ पुस्तकें
 - g. स्वामी की सीजीए (आर एंड पी) नियम, 2021 की संदर्भ पुस्तकें
 - h. स्वामी की कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, 2016 की संदर्भ पुस्तकें

पेपर :-4 खरीद, अनुबंध और आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रणपाठ्यक्रम सामग्रीखरीद और ठेके

- (i) जीईएम पोर्टल पर प्रकाशित अनुबंध की सामान्य स्थिति
 - ii. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (अध्याय -6, 7 और 8)
 - iii. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
 - iv. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
 - v. सीमा अधिनियम, 1963
 - vi. सीमा अधिनियम, 1963
 - vii. अनुबंधित श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
 - viii. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
2. आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण
 - i. आंतरिक लेखा परीक्षा
 - a. लेखा परीक्षा की अवधारणाएं, उद्देश्य, सिद्धांत और तकनीक
 - b. लेखा परीक्षा के प्रकार
 - c. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
 - d. लेखा परीक्षा में नमूनाकरण
 - e. आस्तियों का सत्यापन

टिप्पणी:-

इस पत्र का उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को पुस्तकों की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा हॉल

4/2024

में उपयोग के लिए निम्नलिखित पुस्तकों की अनुमति होगी

- खरीद और अनुबंध के तहत सभी मूल अधिनियम
 - भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली
- पेपर नंबर 5: कोयला खान भविष्य निधि संगठन

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु :-

कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम और योजनाएँ।

- कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948
 - कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948
 - कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998
- सीएमपीएफओ में वित्तीय और निवेश कार्य
 - निवेश-ऋण और इक्विटी पोर्टफोलियो की निगरानी।
 - निवेश पैटर्न
 - पोर्टफोलियो का मोचन
 - सीएमपीएफओ में निवेश मध्यस्थों की नियुक्ति
 - ब्याज की वसूली और ब्याज दर का निर्धारण।

सीएमपीएफओ में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 में प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद के लिए विभागीय परीक्षा के लिए

क्रमांक	परीक्षा-पत्र	समय	अंक	परीक्षा का प्रकार	विषय
1	I	3 घंटे	100	विषयनिष्ठ	सार लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, पत्र-लेखन आदि और अंग्रेजी भाषा

शीर्षक - सार लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, पत्र-लेखन आदि और अंग्रेजी भाषा

भाग-क: सार लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, पत्र-लेखन- 60 अंक

आधिकारिक विषयों पर पत्राचार या नोट, आधिकारिक पत्रों का प्रारूपण, टिप्पण और प्रारूपण आदि की सटीकता के लिए प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे।

भाषा विकल्प - हिंदी / अंग्रेजी

भाग-ख अंग्रेजी भाषा- 40 अंक

भाषा विकल्प- केवल अंग्रेजी में उत्तर दिया जाना है

प्रश्न उम्मीदवारों को भाषा की समझ और शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों के सही उपयोग, सही ढंग से लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए तैयार किए जाएंगे। प्रश्न में बोधकता, सक्रिय, अक्रिय, गलत वाक्यों का सुधार आदि शामिल होंगे।

क्रमांक	परीक्षा-पत्र	समय	अंक	परीक्षा का प्रकार	विषय
2	II	2 घंटे	100	कंप्यूटर आधारित और वस्तुनिष्ठ	अधिनियम और स्कीमें

शीर्षक: अधिनियम और स्कीमें

- कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948
- कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948
- कोयला खान भविष्य निधि पेंशन स्कीम, 1998

क्रमांक	परीक्षा-पत्र	समय	अंक	परीक्षा का प्रकार	विषय
3%	III	2 घंटे	100	कंप्यूटर आधारित	एफआर, एसआर, जीएफआर, कर्मचारी सेवा

			और वस्तुनिष्ठ	विनियम, आरटीआई अधिनियम आदि।
--	--	--	---------------	-----------------------------

शीर्षक: एफआर., जीएफआर., कर्मचारी सेवा विनियम, आरटीआई अधिनियम

भाग क - कर्मचारी सेवा विनियम और सीएमपीएफओ में अन्य सेवा मामले - 50 अंक

1. कोयला खान भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियमन, 1964
2. सीएमपीएफओ की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों की अनुसूची।
3. सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 और सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965
4. सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021
5. राष्ट्रीय पेंशन योजना

भाग ख : एफआर, एसआर, जीएफआर, आरटीआई अधिनियम - 50 अंक

1. एफ.आर. और एस.आर.- परिभाषाएं, ग्रहणाधिकार, सेवा की सामान्य शर्तें, विदेश सेवा, प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्ति, मानक लाइसेंस शुल्क, वेतन और भत्ते, वेतन का निर्धारण, अस्वीकृति, हटाने और निलंबन और विभागीय पदोन्नति समिति।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति / भत्ता, समूह बीमा योजना और गृह निर्माण और अन्य अग्रिम, आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित नियम
3. जीएफआर- सामान्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, बजट निर्माण और कार्यान्वयन, कार्य, माल और सेवाओं की खरीद, इन्वेंट्री प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन, विविध विषय जैसे स्थापना, सुरक्षा जमा, और आकस्मिक और विविध व्यय, स्टोर का उपचार और कर्मचारियों को अग्रिम।

क्रमांक	परीक्षा-पत्र	समय	अंक	परीक्षा का प्रकार	विषय
4.	IV	2 घंटे	100	कंप्यूटर आधारित और वस्तुनिष्ठ	पुस्तक-रखरखाव के प्रारम्भिक सिद्धांत , संख्यात्मक क्षमता और तर्क परीक्षण, कानूनी मुद्दों के विषय

शीर्षक: पुस्तक-रखरखाव के प्रारम्भिक सिद्धांत , संख्यात्मक क्षमता और तर्क परीक्षण, कानूनी मुद्दों के विषय

भाग-क: पुस्तक-रखरखाव के प्रारम्भिक सिद्धांत (40 अंक)

1. डबल एंट्री के मूल सिद्धांत, परीक्षण शेष तक पुस्तक-रखरखाव।
2. कैश बुक- पेटी बुक
3. जर्नल- लेजर- खरीद बुक- बिक्री पुस्तक - खरीद रिटर्न बुक- बिक्री रिटर्न बुक
4. बैंक समाधान विवरण
5. ट्रेडिंग, लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट (केवल एकल व्यापारियों के संबंध में)
6. पूंजी और राजस्व खाते, प्राप्तियां और भुगतान खाते, आय और व्यय खाते।

भाग-ख: संख्यात्मक क्षमता 7 तर्कसंगतता का परीक्षण (30 अंक)

i. संख्यात्मक क्षमता

संख्या प्रणाली, प्रतिशत, राशन और प्रस्ताव, औसतन, समय और कार्य समय और दूरी, राउंडिंग नंबर और अनुमान, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लघुगणक, मानकीकरण, तालिकाएं और ग्राफ आदि।

ii. तर्क का परीक्षण

आरेखों, आंकड़ों, डिजाइनों, प्रस्तावों आदि के माध्यम से तर्क शक्ति का मूल्यांकन, सोच की तीव्रता और मानसिक योग्यता को परखने के लिए अंतर करने या संबंध जोड़ने की योग्यता।

भाग ग: कानूनी मुद्दों के विषय (30 अंक):-

1. मूल अधिनियम:-
 - i. अनुबंध अधिनियम

4/2024

ii. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
iii. परक्राम्य लिखत अधिनियम
iv. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
v. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
2. आयकर अधिनियम में दिए गए वेतन आय पर आयकर की गणना।

सीएमपीएफओ में वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 7 में अनुभाग अधिकारी के पद के लिए विभागीय परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

क्रमांक	परीक्षा-पत्र	समय	अंक	परीक्षा का प्रकार	विषय
	I	3 घंटे	100	विषयनिष्ठ	सार लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, पत्र-लेखन आदि और अंग्रेजी भाषा

शीर्षक - सार लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, पत्र-लेखन आदि और अंग्रेजी भाषा भाग-क: सार लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, पत्र-लेखन- 60 अंक आधिकारिक विषयों पर पत्राचार या नोट, आधिकारिक पत्रों का प्रारूपण, टिप्पण और प्रारूपण आदि की सटीकता के लिए प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे। भाषा विकल्प - हिंदी / अंग्रेजी भाग-ख अंग्रेजी भाषा- 40 अंक भाषा विकल्प- केवल अंग्रेजी में उत्तर दिया जाना है प्रश्न उम्मीदवारों को भाषा की समझ और शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों के सही उपयोग, सही ढंग से लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए तैयार किए जाएंगे। प्रश्न में बोधकता, सक्रिय, अक्रिय, गलत वाक्यों का सुधार आदि शामिल होंगे।

क्रमांक	परीक्षा-पत्र	समय	अंक	परीक्षा का प्रकार	विषय
2	II	2 घंटे	100	कंप्यूटर आधारित और वस्तुनिष्ठ	अधिनियम और स्कीमें

शीर्षक: अधिनियम और स्कीमें कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 कोयला खान भविष्य निधि पेंशन योजना, 1998
--

क्रमांक	परीक्षा-पत्र	समय	अंक	परीक्षा का प्रकार	विषय
3%	III	2 घंटे	100	कंप्यूटर आधारित और वस्तुनिष्ठ	एफआर, एसआर, जीएफआर, कर्मचारी सेवा विनियम, आरटीआई अधिनियम आदि।

शीर्षक: एफआर., जीएफआर., कर्मचारी सेवा विनियम, आरटीआई अधिनियम

भाग क - कर्मचारी सेवा विनियम और सीएमपीएफओ में अन्य सेवा मामले - 50 अंक - कोयला खान भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियमन, 1964 - सीएमपीएफओ की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों की अनुसूची। - सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 - सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 - राष्ट्रीय पेंशन योजना
--

4/2024

भाग ख : एफआर, एसआर, जीएफआर, आरटीआई अधिनियम - 50 अंक

1. एफ.आर. और एस.आर. - परिभाषाएं, ग्रहणाधिकार, सेवा की सामान्य शर्तें, विदेश सेवा, प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्ति, मानक लाइसेंस शुल्क, वेतन और भत्ते, वेतन का निर्धारण, अस्वीकृति, हटाने और निलंबन और विभागीय पदोन्नति समिति।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति / भत्ता, समूह बीमा योजना और गृह निर्माण और अन्य अग्रिम, आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित नियम
3. जीएफआर- सामान्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, बजट निर्माण और कार्यान्वयन, कार्य, माल और सेवाओं की खरीद, इन्वेंट्री प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन, विविध विषय जैसे स्थापना, सुरक्षा जमा, और आकस्मिक और विविध व्यय, स्टोर का उपचार और कर्मचारियों को अग्रिम।

क्रमांक	परीक्षा-पत्र	समय	अंक	परीक्षा का प्रकार	विषय
4.	IV	2 घंटे	100	कंप्यूटर आधारित और वस्तुनिष्ठ	पुस्तक-रखरखाव के प्रारम्भिक सिद्धांत, संख्यात्मक क्षमता और तर्क परीक्षण, कानूनी मुद्दों के विषय

टाइटल: संख्यात्मक क्षमता और तर्क की जांच, कानूनी मुद्दों पर विषय**भाग-क : संख्यात्मक क्षमता एवं तर्कसंगत परीक्षण (30 अंक)****(i) संख्यात्मक क्षमता**

संख्या प्रणाली, प्रतिशत, राशन और प्रस्ताव, औसतन, समय और कार्य समय और दूरी, राउंडिंग नंबर और अनुमान, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लघुगणक, मानकीकरण, तालिकाएं और ग्राफ आदि।

(ii) तर्कशक्ति की जांच

आरेखों, आंकड़ों, डिजाइनों, प्रस्तावों आदि के माध्यम से तर्क शक्ति का मूल्यांकन, सोच की तीव्रता और मानसिक योग्यता को परखने के लिए अंतर करने या संबंध जोड़ने की योग्यता।

भाग ख : कानूनी मुद्दों का विषय (30 अंक): -

1. मूल अधिनियम:-
 - i. अनुबंध अधिनियम
 - ii. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
 - iii. परक्राम्य लिखत अधिनियम
 - iv. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

11. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

मधुरेश कुमार सिंह
सहायक आयुक्त (प्रशासन)

वितरण:-

1. सीएमपीएफओ के सभी क्षेत्रीय प्रमुख - संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को परिपत्र प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।

4/2024

2. एनईडीपी केंद्र, सीएमपीएफओ, हैदराबाद
3. कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के स्थापना अनुभाग के प्रभारी- आयुक्त कार्यालय, धनबाद के सभी कर्मियों में परिचालन हेतु।
4. क्षेत्रीय आयुक्त-II (आईटी), कोयला खान भवसीहाय निधि आयुक्त का कार्यालय, धनबाद - सीएमपीएफओ की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 5 . आयुक्त के निजी सहायक।